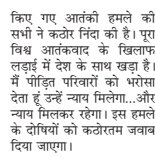


□ वर्ष- 28 □ अंक- 92 □ रायपुर, रविवार 27 अप्रैल 2025 □ पृष्ठ-8 □ मूल्य- 2.50 रुपया • रायपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

पहलगाम हमले के दोषियों को बख्शेंगे
नहीं, पीड़ितों को न्याय मिलकर रहेगा

दी कर्मायें बढ़ रही थीं, लेकिन देश के दुश्मनों को और जम्मु कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। आतंकी चाहते थे कि कश्मीर फिर से तबाह हो जाए। इस मुक़िफ़ वक्त में 140 कर्मायें देशवासियों को एकता समसे बढ़ा आ रही थीं।

पीपुल मोर्चे ने कहा कि हमें इस चुनौती को सामना करने के लिए अपने संस्केर्षों को मजबूत करना है। हमें एक दृढ़ राश के रूप में अपनी इच्छाशक्ति को मजबूत करना है। भारत के लोगों में जो आक्रोश है, वो पूरी दुनिया में है। इस आक्रोश के बाद दुनियाभर से सलाहार्त संवेदनाएं आ रही हैं। कई राशधर्षार्थों ने मुझे भी फोन करके पहलगवा को घटना पर दुख जताया है। इस जन्मस्व तरीके से



इससे पहले प्रधामंत्री ने हमें बताया कि वो तो मुख्यार को बताने का एक जसनाभी कि भी पहलवाना हमने देकर के दौतीयां को जवाना देते हुये कहा था कि आज बिहार को सज्जमान से भी पूरा दुनिया से यह काना हाथ आज बिहार इन लोगों को पहलवान करे देते हुयेगा और हर आतंकी को उनको मदद करने वालों को सजा देगा। हम उन पृथ्वी से अतिम और तब खड़े हुये। भारती को आत्मा को अतंकवादकार भी नहीं तोड़ कहा। इसाग मिलते इसके लिए हमसेवन प्रयास किया जाएगी। इस दुनिया में जो भी ईसाईनवत के थप में है, वह हमारे साथ है। इस सत दुनिया में जो हमारे साथ खड़ा है, हम उसने शुकुनवार है। प्रधामंत्री ने हमें कहा कि हम हमला सिर्फ नित्यरे पहलवान करे नहीं हुआ है देश के दुर्गमना में भारती आत्मा पर हमला करने को दुस्साहस हमला किया है। मैं बहुत खुश यथमें कहना चाहता हू कि जिनिते ये हमला किया है, उन आतंकीयां को और इस हमले को साखर करने वालों को उनकी कानाकान से भी बड़ी सजा मिलेगी। सभ मियाकर रहेगी। उन आतंकीयां की बच्ची-बच्ची आतंकीयां को भी इच्छा में मिलाता का साथ आ या है। 140 करोड़ भारतीयां को कि इच्छाशक्ति का समकय के आकाशों की कपूर तोड़कर रहेगी।

नई दिल्ली, 27 अप्रैल (न्यूज चैनल)। केल के तिरुवनंतपुरम अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डे को बम की धमकी मिली है। तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे के पीआरओ ने बताया कि हवाई अड्डे को ईमेल के जरिए धमकी मिली। बम निरोध दस्ते ठर्मिनलों की जांच कर रहे हैं। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।

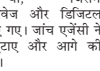


म. आपन स्कूले को परीक्षा के दौरान बड़ा लमपरवाही सामने आई है। 12वीं कक्षा के वृद्ध विज्ञान विषय की परीक्षा में गलती से 10वीं कक्षा को प्रश्न पत्र बाँट दिया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए उप संचालक लोक शिक्षण संचालनालय छत्रासंगम ने कार्रवाई करते हुए तुरंत अधिकारियों को निर्लंबित कर दिया है। निर्लंबित अधिकारियों में केंद्राध्यक्ष नारायण सिंह चंद्रनगर, सहायक केंद्राध्यक्ष तुलसी मा. यादव और जिला प्रतिनिधि आनंदनगर नीतू शाह शामिल है। निर्लंबन अवधि के दौरान सभी को जिला शिक्षा कार्यालय गयाबाबंद में उपस्थिति देने के निर्देश दिए गए हैं।

संसार के लोगें को बोलाने के बीरबल जेल में तैयारी से उन्हें निर्लाभ कर दिया था। पटेल छत्तीसगढ़ के पहले आईएफएस अधिकारी हैं, जिन्हें जेल भेजा गया है।

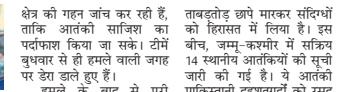
मैं तैयू पत्ता संग्रहण और बोसस विवरण से जुड़ा एक बड़ा मामला है, जिसमें अनियमितताओं और गबन के आरोप

नेहरूवादी दस्तावेजों और बिजनो साक्ष्य जल्द किए गए। जांच एजेंसी ने पुखा सबूत जुटाए और आगे की कार्रवाई की गई।



साथे जो जेना सावना

क्रांतीय युद्ध मंत्रालय के आदर्श के बावद एजेंसी ने पहलगाम आतंकी रहा है। फ़ारसिक और अन्य अन्य जगहों पर भा आताकिया व व कुलगाम म आताकिया के घर विशेषज्ञों की सहायता से टीमें पूरे उनके समर्थकों के ठिकानों पर ध्वस्त किए गए।



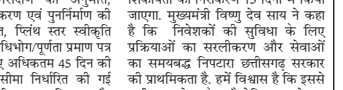
[illegible]

विभिन्न महत्वपूर्ण देशों में सत्तारूढ़ और विपक्षी के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया था।

अवसर भी सुनिश्चित होंगे। हमारी सरकार प्रमाण पत्र 90 दिनों के भीतर जारी किया और शिकायतों का निराकरण 15 दिनों के मददगार साबित होगा।

निवेशकों को त्वरित, पारदर्शी और जनवादी ढंग से उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है।

राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड द्वारा जारी आदेश के अनुसार, खरनाक यात्रा अन्य अपशिष्ट प्रबंधन के तहत अनुमति प्रदान करने के लिए 60 दिन, बायो-मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु अनुमति के लिए 60 दिन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु स्वीकृति के लिए 30 दिन और निर्माण एवं



जारी किया और शिकायतों का निराकरण 15 दिनों के मददगार साबित होगा।

प्राप्त से संबंधित पांच नमूना व्यक्तियों, अर्धवर्षीय शिक्षण और परिकल्पित कार्य एवं पुनर्निर्माण को प्रोत्साहित करने व्यक्तियों प्रयोग/पुनर्स्थापना प्रारंभ करके 45 दिन की नमूना निर्धारित की गई प्रकाश लिफ्ट और नमूना की रथापना हेतु प्रकाश, नवीनीकरण और प्रकाश के लिए 45 दिन का

निराकरण 15 दिनों के मददगार साबित होगा।

विष्वस्य अपशिष्ट प्रबंधन हेतु अनुमत के लिए भी 30 दिन की समय-सीमा तय की गई है। इसी तरह नदी या सार्वजनिक जलशायों से जल दोहन हेतु अनुमत 300 दिनों में प्रदान की जाएगी, जबकि जल आपूर्ति एजेंसी से जल की अनुपलब्धता का प्रमाण पत्र 90 दिनों के भीतर जारी किया

अनुमति के मा तय की सार्वजनिक नुमति 300 नब्बक जल तब्यथा का जारी किया समय तय किया गया है. स्टार्टअप के पंजीकरण के लिए भी 45 दिनों के समय-सीमा तय की गई है।

इसके अलावा, निवेशकों को केंद्र और निवेश प्रोत्साहन ए प्रश्नों का प्रत्युत्तर 7 दिनों में और शिकायतों का निराकरण 1

अधिनियम के तहत अधिसूचित नहीं किया गया था, उन्हें इस आदेश के माध्यम से अधिसूचित माना जाएगा. यह आदेश राज्य में लागू हो चुका है. छत्तीसगढ़ शासन का यह प्रयास औद्योगिक विकास के क्षेत्र में राज्य को अग्रणी बनाने की दिशा में मददगार साबित होगा।